



सहकारिता विभाग एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

रबी 2022-23

अधिसूचित फसलें



गेहूँ

रबी मकई

मसूर

अरहर

चना

ईख

रई-सरसों

आलू

प्याज

योजना की प्रमुख विशेषताएँ :-

ऑनलाईन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय कॉल सेन्टर एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता।

1

रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।

2

रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा - गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, रई-सरसों, आलू एवं प्याज

3

निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया।

4

7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)।

5

10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)।

6

रबी - 2022-23 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :-

- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल - <https://state.bihar.gov.in/cooperative>
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से - (टोल फ्री नं 0 - 18001800110)

आवेदन की अवधि - 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक निर्धारित है।

▶ आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया :-

- कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाइल एप्प, आई.भी.आर.एस. (सुगम) कॉल सेन्टर (टोल फ्री नं 0 - 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
- आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-

रैयत किसान	गैर रैयत किसान	रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)	1. स्व घोषणा-पत्र (वाई सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)	1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)
2. स्व घोषणा-पत्र		2. स्व घोषणा-पत्र (वाई सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

- योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंकड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान।

- नोट :-
- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
 - योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
 - नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य।

• अधिक जानकारी के लिए - <https://state.bihar.gov.in/cooperative> अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं 0 - 18001800110 पर संपर्क करें।